

## न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 21/2013 (225 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2013/00093

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद
2. रामपाल
3. श्यामपाल सिंह } पिसरान हाकिम सिंह } जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला
4. प्रेमपाल सिंह } भरतपुर।
5. विजयपाल सिंह }
6. गंगा सिंह }
7. मुन्नी वेवा हाकिम सिंह
8. गुड्डी पुत्री हाकिम पत्नी शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी पुराना बिजलीघर भरतपुर।

..... रैस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय व  
डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास  
दिनांक 08.10.2013 प्र.सं 41/2012 उनवानी  
बृजेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पोंड श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित

सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक-09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 08.10.2013 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् रिसीवरी विरुद्ध अप्रार्थी/रैस्पोंड इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में

स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी/अपीलाण्ट व अप्रार्थी/रैस्पो० का संवत 2012 के पूर्व से ही संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी/अपीलाण्ट एक सीधा साधा व्यक्ति है। जबकि अप्रार्थीगण/रैस्पो० राजकार्य में दक्ष थे व कर्ता खानदान थे। अतः उन्होंने प्रार्थी/अपीलाण्ट की इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर तथा प्रार्थी /अपीलाण्ट से छिपाते हुये, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के इन्द्राज अपने पक्ष में करवा लिये। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थीगण/रैस्पो० विवादित आराजी में प्रार्थी/अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते हैं एवं काश्त करने पर झगडा फसाद करते हैं। अगर अप्रार्थी/रैस्पो० अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर रिसीवर कायम करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो०डेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील भीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पो० विवादित आराजी में अपीलाण्ट के 1/3 हिस्से को मानने से इंकार हो रहे हैं तथा आराजी में बडे-बडे गड्डे करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिये अपीलाधीन के हिस्सा की सुरक्षा हेतु आराजी मुतनाजा पर रिसीवर की नियुक्ति किया जाना कानूनन जरूरी है। अपीलाण्ट एक कमजोर व्यक्ति है जो रैस्पो० का सामना करने में असमर्थ है। रैस्पो० झगडालू एवं खूंखार व्यक्ति हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में कानूनी त्रुटि की है।
4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो० ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। रिसीवर एक कठोरतम प्रक्रिया है जबकि उक्त प्रकरण में रिसीवर नियुक्त करने का भी कोई विधिसम्मत आधार उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी पर रैस्पो० का ना तो कब्जा काश्त है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान् में कभी झगडा/मारपीट अथवा पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुयी हो। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने सभी सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिये वाद (NON JOINDER OF PARTY) के दोष से भी ग्रसित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारों में कभी भौतिक रूप से झगडा/कहासुनी अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई हो एवं ना ही विवादित आराजी में अपीलाण्ट पक्ष का विधिक एवं निर्विवाद कब्जा स्पष्ट बताने वाले दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी, मौका रिपोर्ट आदि ही पत्रावली में उपलब्ध हैं। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादग्रस्त आराजी इन मीडियो हो गयी है। भूमि बाबत् विवाद होने का आशय मौखिक कथनों से नहीं लगाया जा सकता है। हमारी राय में रिसीवर नियुक्ति की कार्यवाही एक कठोरतम उपाय है जिसे साधारण परिस्थिति में किसी काबिज काश्तकार के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने विवादित भूमि में दर्ज सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अतः वाद मिस जोइंडर आफ पार्टीज के दोष से भी ग्रसित है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसे हम किसी प्रकार की विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।
6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 08.10.2013 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)  
आर.ए.एस.  
भू प्रबंध अधिकारी पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर